न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की तामील हुए
	मीरा देवी बनाम लडीराम मु.नं.– 48/25 किस्म – T.A.	
	अप्रार्थी सं. 01, 2/1, लगा 2/8, 03 की विधिवत रूप से तामील हो चुकी है। तामील उपरान्त पर्याप्त समय के उपरान्त भी इनके द्वारा जवाब प्रा.पत्र T.A. पेश नहीं किया गया है। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रा.पत्र T.A. पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र T.A. पर विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.A. दिनांक 27.03.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
27.03.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी, अप्रार्थी सं.01 उपस्थित। प्रार्थिया का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	नि. लडी नि. मीरा

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
68/2025	02.07.2025	27.03.2026

बउनवान

1. मीरा देवी पत्नी बनवारी, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..प्रार्थीया/सायला

बनाम

1. लडीराम पुत्र सुरजन, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
2. शिम्भूदयाल पुत्र रामसहाय, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

2/1– अंगूरी देवी पत्नि स्व. शिम्भूदयाल
2/2– रामगोपाल पुत्र स्व. शिम्भूदयाल
2/3– मुकेश पुत्र स्व. शिम्भूदयाल
2/4– राधेश्याम स्व. शिम्भूदयाल
2/5– ललित स्व. शिम्भूदयाल
} समस्त निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा

2/6– मुन्नी पुत्री स्व. शिम्भूदयाल पत्नि मुनेश हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा हाल निवासी रोणीजा तहसील कठूमर जिला अलवर।

2/7–विनोद पुत्री स्व. शिम्भूदयाल पत्नि चतरसिंह हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा हाल निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।

2/8–कैलाशी पुत्री स्व. शिम्भूदयाल पत्नि जगदीश निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा हाल निवासी मकरोटा खोहरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

3. सरोज देवी पत्नी खेमराज, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा हाल निवासी प्लॉट सं 67 राजीव गॉधी नगर जयपुर।
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।
5. उपपंजीयक बैजूपाडा।
6. रूपंती देवी पत्नी रामगोपाल मीना, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
7. भागन्ती पत्नी लडडीराम, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री हरीसिंह मीना।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2/1 लगा. 2/8, 6, 7 – श्री प्रीतम चन्द सैनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की विवादित आराजीयात ग्राम हिंगोटा, पटवार हल्का बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में खाता संख्या 120 के

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

खसरा सं. 1668/2487, 1712/2486, 1723, 1724, 1731, 1732, 1733, कुल किता 7, कुल रकबा 1.50 हैक्टे., खाता सं. 565 के खसरा सं. 1660, 1664, 1667 कुल किता 03, कुल रकबा 1.19 हैक्टे., खाता सं. 121 के खसरा सं. 1712, 1713, 1715 कुल किता 03, कुल रकबा 0.53 हैक्टे. एव खाता सं. 123 के खसरा सं. 1661, 1662, कुल किता 02, कुल रकबा 0.56 हैक्टे., खाता स. 564 के खसरा सं. 1666 रकबा 0.35, खाता सं. 569 के खसरा सं. 1859, 1860, कुल किता 02, कुल रकबा 0.50 हैक्टे. स्थित है। विवादित आराजीयात खाता स. 120 मे प्रार्थीया का 1/16 हिस्सा, खाता सं. 565 में प्रार्थीया का 11/96 हिस्सा, खाता सं. 123 मे प्रार्थीया का 1/32 हिस्सा, खाता सं. 564 मे प्रार्थीया का 1/16 एवं खाता सं. 569 मे प्रार्थीया का 1/16 हिस्सा अनुसार मौजूद जमाबंदी है तथा शेष हिस्से पर गैरसायलान मौजूद है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्सानुसार मनबट के अनुसार काबिज है। विवादित आराजीयात का अभी कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है जिससे प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के मध्य डोलमेड को लेकर एव कम ज्यादा भूमि को लेकर विवाद होता रहता है। अप्रार्थी स. 01 लगायत 03 झगडालू एवं बेईमान किस्म के लोग हैं जो प्रार्थीया की डोलमेढ को तोडकर तग व परेशान करते रहते हैं तथा लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है, बिना तकास्मा कराये ही दीगर व्यक्तियों को रहन बेचान करने की धमकी देते है। प्रार्थीया बार-बार अप्रार्थीगण से भूमि का सहमति से विभाजन कराने के लिये कहती है परन्तु अप्रार्थीगण, प्रार्थीया की बातों पर कतई गौर नहीं करते हैं, बिना कानूनी तकास्मा के प्रार्थीया सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा रही है। इसलिये प्रार्थीया अपने कानूनी हक व अधिकारों से वंचित हो रही है। दिनांक 29.06.2025 को प्रार्थीया अपने खेत में उगाई फसल की देखभाल करने गयी तो वहा पर अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 मौके पर मिले जिन्होंने प्रार्थीया के हिस्से की आराजी की डोलमेढ को तोडकर अपने हिस्से में मिला लिया। प्रार्थीया ने मना किया, तब अप्रार्थी स. 01 लगायत 03 ने कहा कि हमारी भूमि कम है, हम तो ऐसे ही डोलमेढ तोडेंगे। तब प्रार्थीया ने अन्य सहखातेदारों से तकास्मा कराने को कहा तो उन्होंने भी तकास्मा कराने से साफ इन्कार कर दिया। यदि अप्रार्थीगण अपनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति इनटर्म ऑफ मनी भी संभव नहीं हो पायेगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश है। दिनांक 29.06.2025 को अप्रार्थी सं. 01 लगा. 03 द्वारा बिना कानूनी रूप से तकास्मा कराये ही दीगर व्यक्तियों को रहन बेचान करने की ऐलानिया धमकी देने से बमुकाम हिगोटा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा मे पैदा हुआ है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित है। दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने मे उन्हे किसी भी प्रकार की कोई हानि नही है जबकि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं करने से प्रार्थी अपने कानूनी हक हकूको से वंचित हो जायेगी व अप्रार्थी स. 01 लगा. 03 सहखातेदारी भूमि को बिना तकास्मा कराये रहन, बेचान करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की मुलनाजा के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजीयात के निर्णय व डिक्री उपरांत तकास्मा मे सायला के हिस्से मे आयी भूमि के उपयोग उपभोग मे कोई मजाहमत,

उपखण्ड अधिकारी
गण्डावर (दौसा)

मदाखलत पैदा नहीं करें, डोलमेढ़ नहीं तोड़ें, ना ही दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान करें। अप्रार्थीगण को मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. विद्वान प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 02.07.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात में मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को नोटिस, वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 05 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर जवाब का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 06 व 07 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि विवादित भूमि के बंटवारे को लेकर सायला एवं गैरसायल के मध्य में आपस में आज तक कोई बातचीत या झगड़ा नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं. 23 व 24 ने दिनांक 17.06.2025 को उक्त भूमि में से उसकी खातेदारी काश्तकार सरोज देवी पत्नी खेमराज मीना से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनके प्रार्थीया द्वारा प्रतिवादी सं. 23 व 24 का नामांतकरण रूकवाने की गरज से झूठे एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07. 2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं. 23 व 24 ने उक्त भूमि को सायला द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पहले ही खरीद लिया है। दिनांक 29.06.2025 को प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य आपस में उक्त भूमि का विभाजन करवाने के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हुई है एव ना ही अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को रहन बेचान करने की धमकी दी है। सही बात यह है कि प्रतिवादी सं. 23 व 24 द्वारा दिनांक 17.06.2025 को खातेदार काश्तकार सरोज देवी पत्नी खेमराज मीना उसके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि खरीद किये जाने के पश्चात उस खरीदशुदा भूमि पर प्रतिवादी सं. 23 व 24 द्वारा कब्जा प्राप्त करने के पश्चात प्रतिवादी सं. 23 व 24 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे प्रक्रियाधीन नामांतकरण सं. 1598 दिनांक 03.07.2025 को रूकवाने की गरज के आधार पर पेश किया है। अप्रार्थी सं. 06 व 07 ने दिनांक 17.06. 2025 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र खातेदार काश्तकार सरोज देवी पत्नी खेमराज मीना से उसके हिस्से की भूमि को खरीद करने के पश्चात उस पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है एवं अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामातकरण सं. 1598 दिनाक 03.07.2025 प्रक्रियाधीन चल रहा है। अप्रार्थीगण के नाम खुल रहे नामांतकरण को रूकवाने की गरज से प्रार्थीया द्वारा झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 06 व 07 की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

5. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 06 व 07 की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 मे प्रावधान है कि :

212 व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे मे रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसार, प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 01 लगा. 03 विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड सहखातेदार है। विवादित आराजीयात पर जमाबंदी मे सरोज देवी पत्नी खेमराज से भागंती पत्नी लडीराम, रूपती देवी पत्नी रामगोपाल, सरोज देवी पत्नी खेमराज पर नामातकरण प्रक्रियाधीन है। इससे स्पष्ट है कि उक्त खसरों में अप्रार्थी सं. 06 तथा 07 (रूपती देवी व भागंती देवी) के खातेदारी हित निहित है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में नही पाया जाता है। विवादित आराजीयात अविभाजित भूमि है जिसमे प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थना पत्र से संबद्ध वाद पत्र के जरिये प्रार्थीया/वादीया द्वारा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। रिकॉर्डेड खातेदार (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी होने से उनके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा खातेदारी अधिकारों के उपयोग में अप्रार्थीगण को बाधा होगी। इस कारण निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थीया के पक्ष मे नही पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आदेश

7. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम हिंगोटा, पटवार हल्का बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1668/2487, 1712/2486, 1723, 1724, 1731, 1732, 1733, 1660, 1664, 1667, 1712, 1713, 1715, 1661, 1662, 1666 1859, 1860 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 02.07.2025 के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)